पंचम

संस्करण

भारत की राजव्यवस्था

सिविल सेवा की परीक्षा हेतु

एम. लक्ष्मीकान्त

Mc Graw Hill Education

भारत की
राजव्यवस्था

सिविल सेवा की परीक्षा हेतु

पंचम
संस्करण

लेखक के विषय में

एम. लक्ष्मीकांत ने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री 1989 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वह एक पूर्ववर्ती कोचिंग संस्थान, जिसे लक्ष्मीकांत आईएएस अकादमी हैदराबाद के नाम से जाना जाता था, के भूतपूर्व संस्थापक एवं निदेशक थे। *भारतीय शासन*, *वस्तुनिष्ठ भारतीय राजव्यवस्था* और *लोक प्रशासन* उनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें हैं।

भारत की राजव्यवस्था

सिविल सेवा की परीक्षा हेतु

पंचम संस्करण

एम. लक्ष्मीकांत
भूतपूर्व संस्थापक–निदेशक
लक्ष्मीकांत आईएएस अकादमी (बंद हो चुका है)
हैदराबाद

McGraw Hill Education (India) Private Limited
CHENNAI

McGraw Hill Education Offices
Chennai New York St Louis San Francisco Auckland Bogotá Caracas
Kuala Lumpur Lisbon London Madrid Mexico City Milan Montreal
San Juan Santiago Singapore Sydney Tokyo Toronto

McGraw Hill Education (India) Private Limited

Published by McGraw Hill Education (India) Private Limited,
444/1, Sri Ekambara Naicker Industrial Estate, Alapakkam, Porur,
Chennai -600 116, Tamil Nadu, India

Bharat Ki Rajvyvastha, 5e

Copyright © 2017, 2014, 20111, 2010, 2009 McGraw Hill Education (India) Private Limited.

No Part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise or stored in a database or retrieval system without the prior written permission of the publishers. The program listings (if any) may be entered, stored and executed in a computer system, but they may not be reproduced for publication.

This edition can be exported from India only by the publishers.
McGraw Hill Education (India) Private Limited

ISBN (13) : 978-93-5260-386-2
ISBN (10) : 93-5260-386-9

Information contained in this work has been obtained McGraw Hill Education (India), from sources believed to be reliable. However, neither, McGraw Hill nor its authors guarantee the accuracy or completeness of any information published herein, and neither McGraw Hill Education (India) nor its authors shall be responsible for any errors, omissions, or damages arising out of use of this information. This work is published with the understanding that McGraw Hill Education (India) and its authors are supplying information but are not attempting to render engineering or other professional services. If such services are required, the assistance of an appropriate professional should be sought.

Typeset at Kaushik Laser Point & Printers, Tis Hazari Court, Delhi-53 and printed at

Cover Designer: Rajesh Pandey

Visit us at: www mheducation.co.in

मेरी पत्नी

एम. विद्या

को समर्पित

पंचम संस्करण की प्रस्तावना

पाठकों के सम्मुख भारतीय राजव्यवस्था की इस बहुप्रशंसित पुस्तक के पूर्णत: संशोधित, विस्तारित तथा अद्यतन संस्करण प्रस्तुत करते हुए मुझे बेहद हर्ष हो रहा है।

वर्ष 2011 तथा 2013 में संघ लोकसेवा आयोग ने प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षाओं का स्वरूप तथा पाठयक्रम क्रमश: बदल दिया। इन दोनों संशोधनों द्वारा भारतीय राजव्यवस्था विषय की व्याप्ति को काफी विस्तार दिया गया। फलत: प्रस्तुत संशोधित संस्करण अब अधिक उपयोगी बन गया है और यह प्रतिस्पर्धियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

इस पुस्तक के संशोधन तथा नवीनीकरण के क्रम में कई नई चीजें जोड़ी गई हैं, जैसे हाल के संविधान संशोधन, संसदीय विधायन, कार्यपालिका के निर्णय एवं उच्चतम न्यायालय के फैसले।

इस संस्करण में परिवर्तन (नई सामग्री)

1. 7 नये अध्यायों का समावेश
2. 4 नये परिशिष्टों का समावेश
3. 2014, 2015 तथा 2016 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर सहित समावेश
4. 2013, 2014 तथा 2015 की मुख्य परीक्षा के प्रश्न-पत्र शामिल
5. संघ की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के प्रश्नों के वर्षवार विभाजन का अद्यतन रूप में प्रस्तुतीकरण
6. कई अन्य विषयों पर अतिरिक्त अद्यतन सामग्री का समावेश
7. विभिन्न अध्यायों में नये विषयों का समावेश

नये अध्याय

1. संसदीय समूह
2. न्यायिक समीक्षा
3. न्यायिक सक्रियता
4. जनहित याचिका
5. नीति आयोग
6. मतदान व्यवहार
7. चुनाव कानून

नये परिशिष्ट

1. जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धाराएं
2. जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराएं
3. राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष
4. जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धाराएं

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक अब काफी विस्तृत तथा अद्यतन अध्ययन सामग्री बन गई है। यह बेहद संतोषजनक है कि इसके गत चार संस्करणों को पाठकों की अभूतपूर्व प्रशंसा मिली है। मुझे विश्वास है कि इस संस्करण को भी पाठकों द्वारा वैसे ही स्वीकार किया जाएगा।

इस पुस्तक को आगे और परिष्कृत करने के सकारात्मक सुझावों का स्वागत है और उनके लिए मैं कृतज्ञ रहूंगा।

–एम. लक्ष्मीकांत

प्रथम संस्करण की प्रस्तावना

उच्च प्रशासनिक सेवाओं के अभ्यर्थियों के समक्ष इस पुस्तक को प्रस्तुत करते हुये मुझे अपार हर्ष हो रहा है। यह पुस्तक उन अभ्यर्थियों की बढ़ती हुयी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से लिखी गयी है, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य) में सम्मिलित हो रहे हैं। यह पुस्तक इस परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्र के भारतीय राजव्यवस्था वाले खंड को पूर्ण रूप से कवर करती है। इसके अलावा यह पुस्तक कई वैकल्पिक विषयों, जैसे–लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र तथा मानव विज्ञान आदि के लिये भी उपयोगी सिद्ध होगी।

यह पुस्तक पाठकों को विषय की विस्तृत एवं संपूर्ण जानकारी देने में सहायक सिद्ध होगी। इसमें विषय के सभी आयामों (संवैधानिक, गैर-संवैधानिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक) को सम्मिलित किया गया है। सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को पढ़ाने का मेरा प्रत्यक्ष अनुभव इस पुस्तक के लेखन में मेरे लिये प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत रहा है तथा अत्यंत सहायक भी सिद्ध हुआ है।

पुस्तक की पाठ्य-सामग्री को प्रमाणिक, प्रासंगिक एवं अद्यतन बनाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या भारत की संविधान सभा में हुई बहसों एवं सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में की गयी है। प्रस्तुति को ज्यादा स्पष्ट स्वरूप प्रदान करने हेतु मैंने तालिकाओं का भी उपयोग किया है। पुस्तक के अंत में दिये गये परिशिष्ट संदर्भ भाग के रूप में काम करेंगे।

इस पुस्तक के पाठकों के रचनात्मक सुझावों एवं विचारों का मैं स्वागत करूंगा।

–एम. लक्ष्मीकांत

आभार

इस पुस्तक को लिखते समय मुझे अपने जिन अध्यापकों, छात्रों, पारिवारिक सदस्यों, सहकर्मियों, मित्रों एवं पुस्तकालय कर्मचारियों तथा अन्य लोगों से जो सहयोग एवं प्रोत्साहन मिला है, मैं उन सबका आभारी हूं।

मैं विशेष रूप से अपनी पत्नी एम. विद्या का आभारी हूं, जिन्होंने इस पुस्तक की लेखन अवधि में मुझे अत्यधिक प्रोत्साहन दिया तथा मेरा निरंतर उत्साहवर्धन किया।

मैं राजनीति विज्ञानी एवं संवैधानिक विशेषज्ञों (ग्रेनविले ऑस्टिन, मोरिस जोंस, के.सी. व्हेयर, रजनी कोठारी, पॉल एपेल्बी, के. संथानम, एन.ए. पालखीवाला, सोली सोराबजी, डी.डी. बसु, वी.एन. शुक्ला, एम.पी. जैन, सुभाष कश्यप) तथा अन्य शोधकर्ताओं का आभारी हूं, जिनके कार्यों एवं रचनाओं ने मुझे इस पुस्तक को लिखने में अत्यधिक सहयता की है।

अंत में अत्यंत परिश्रम से नियत समय में इस कार्य को पूरा करने के लिये मैं मैक्ग्रा–हिल समूह के श्री तन्मोय राय चौधरी, सुक्ती मुखर्जी एवं धर्मेन्द्र शर्मा को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

–एम. लक्ष्मीकांत

संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में भारतीय राजव्यवस्था पर अंकों का वर्षवार विभाजन

(सामान्य अध्ययन-मुख्य परीक्षा)

क्रम संख्या	वर्ष	अंक प्रस्तावित
1.	1993	89
2.	1994	89
3.	1995	89
4.	1996	89
5.	1997	89
6.	1998	89
7.	1999	89
8.	2000	130
9.	2001	100
10.	2002	130
11.	2003	100
12.	2004	100
13.	2005	100
14.	2006	100
15.	2007	100
16.	2008	130
17.	2009	66
18.	2010	66
19.	2011	111
20.	2012	47
21.	2013	180
22.	2014	150
23.	2015	187

नोटः I. 2013 में संघ लोकसेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा के स्वरूप तथा पाठ्यक्रम में बदलाव किए हैं। नई स्कीम में एक नया अलग पेपर जोड़ा गया है–शासन, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यह पेपर 250 अंकों का है।

नोटः II. उपरोक्त तालिका में ''अन्तर्राष्ट्रीय संबंध'' (2013 से) से संबंधित प्रश्नों के अंकों की संख्या शामिल नहीं है।

संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में भारतीय राजव्यवस्था पर प्रश्नों का वर्षवार विभाजन

(सामान्य अध्ययन-प्रारंभिक परीक्षा)

क्रम संख्या	वर्ष	पूछे गए प्रश्नों की संख्या
1.	1993	14
2.	1994	14
3.	1995	17
4.	1996	10
5.	1997	12
6.	1998	05
7.	1999	09
8.	2000	12
9.	2001	12
10.	2002	19
11.	2003	19
12.	2004	22
13.	2005	10
14.	2006	13
15.	2007	12
16.	2008	13
17.	2009	14
18.	2010	10
19.	2011	12
20.	2012	20
21.	2013	18
22.	2014	13
23.	2015	15
24.	2016	05

नोट: वर्ष 2011 में संघ लोकसेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का स्वरूप तथा पाठ्यक्रम बदल दिया। नई स्कीम में 'भारतीय राजव्यवस्था' को नया नाम 'भारत की राजव्यवस्था एवं शासन' दिया गया है। इसमें संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारों के मुद्दे आदि का समावेश है। इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न का पहले के 1 अंक की जगह 2 अंक हो गया है।

सिविल सेवा परीक्षा के विषय में

सिविल सेवा परीक्षा के दो मुख्य चरण होते हैं:

(i) मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिये सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार), एवं

(ii) विभिन्न सेवाओं एवं पदों में चयन हेतु सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा (लिखित एवं साक्षात्कार)।

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए योजना एवं विषय

A. प्रारंभिक परीक्षा

इस परीक्षा में दो अनिवार्य प्रश्नपत्र, जिनमें प्रत्येक 200 अंक के होते हैं।

नोट: (i) दोनों प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्पी प्रश्न) के होंगे।

(ii) ये प्रश्नपत्र अंग्रेजी एवं हिंदी, दोनों ही माध्यम में होंगे।

B. मुख्य परीक्षा

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र होंगे:

अर्हक प्रश्नपत्र:

प्रश्नपत्र-क संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों द्वारा चुनी गयी कोई एक भारतीय भाषा। **300 अंक**

प्रश्नपत्र-ख अंग्रेजी **300 अंक**

टिप्पणी: भारतीय भाषा एवं अंग्रेजी के प्रश्नपत्र अर्हदायी प्रश्नपत्र हैं तथा इनमें प्राप्त अंकों को कुल अंकों में शामिल नहीं किया जायेगा।

वरीयता क्रम के लिए जिन प्रश्नपत्रों को आधार बनाया जाएगा, वे इस प्रकार हैं:

प्रश्नपत्र-I	निबंध	**250 अंक**
प्रश्नपत्र-II	सामान्य अध्ययन-I (भारतीय विरासत एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल एवं समाज)	**250 अंक**
प्रश्नपत्र-III	सामान्य अध्ययन-II (शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	**250 अंक**
प्रश्नपत्र-IV	सामान्य अध्ययन-III (प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन)	**250 अंक**
प्रश्नपत्र-V	सामान्य अध्ययन-IV (नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरूचि)	**250 अंक**
प्रश्नपत्र-VI	वैकल्पिक विषय : प्रश्नपत्र 1	**250 अंक**
प्रश्नपत्र-VII	वैकल्पिक विषय : प्रश्नपत्र 2	**250 अंक**

उपयोग (लिखित परीक्षा) :	**1750 अंक**
साक्षात्कार:	**275 अंक**
कुल:	**2025 अंक**

अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में नीचे दी गयी तालिका से किसी एक वैकल्पिक विषय का चयन कर सकते हैं:
मुख्य परीक्षा के लिये वैकल्पिक विषयों की सूची

- कृषि विज्ञान
- नृविज्ञान
- रसायन विज्ञान
- वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि
- विद्युत इंजीनियरिंग
- भू-विज्ञान
- विधि
- गणित
- चिकित्सा विज्ञान
- भौतिकी
- मनोविज्ञान
- समाज शास्त्र
- प्राणीविज्ञान
- निम्न में से किसी एक भाषा का साहित्य:
  असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, अंग्रेजी।
- पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान
- वनस्पति विज्ञान
- सिविल इंजीनियरी
- अर्थशास्त्र
- भूगोल
- इतिहास
- प्रबंधन
- यांत्रिक इंजीनियरिंग
- दर्शन शास्त्र
- राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध
- लोक प्रशासन
- सांख्यिकी

तालिका-सूची

तालिका 1.1	अंतरिम सरकार (1946)	1.9
तालिका 1.2	स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल (1947)	1.9
तालिका 2.1	भारत की संविधान सभा (1946) में सीटों का आबंटन	2.5
तालिका 2.2	संविधान सभा के लिए हुए चुनावों के परिणाम (जुलाई-अगस्त 1946)	2.5
तालिका 2.3	संविधान सभा (1946) में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व	2.5
तालिका 2.4	भारत की संविधान सभा में 31 दिसम्बर, 1947 को राज्यवार सदस्यता	2.6
तालिका 2.5	संविधान सभा के सत्र: एक नजर में	2.8
तालिका 3.1	भारतीय संविधान पर एक नजर	3.6
तालिका 3.2	भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एक नजर	3.8
तालिका 3.3	संविधान की अनुसूचियों पर एक नजर	3.10
तालिका 3.4	संविधान के स्रोत एक नजर में	3.11
तालिका 5.1	1950 में भारतीय क्षेत्र	5.4
तालिका 5.2	1956 में भारतीय क्षेत्र	5.5
तालिका 5.3	2014 में भारतीय क्षेत्र (2016 तक)	5.7
तालिका 5.4	संघ एवं इसके क्षेत्रों से सम्बन्धित अनुच्छेद, एक नजर में	5.7
तालिका 6.1	एनआरआई, पीआईओ एवं ओसीआई कार्ड होल्डर की तुलना	6.8
तालिका 6.2	नागरिकता से सम्बधित अनुच्छेद: एक नजर में	6.12
तालिका 6.3	नागरिकता अधिनियम (1955) एक झलक में (2015 तक संशोधित)	6.12
तालिका 6.4	नागरिकता अधिनियम (1955) की अनुसूचियां: एक नजर में	6.13
तालिका 7.1	मूल अधिकार: एक नजर में	7.3
तालिका 7.2	विदेशियों के मूल अधिकार	7.4
तालिका 7.3	मॉर्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपातकाल	7.22

तालिका 7.4	मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित अनुच्छेद, एक नजर में	7.27
तालिका 8.1	मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों के मध्य विभेद	8.6
तालिका 8.2	नीति निदेशक सिद्धांतों से सम्बन्धित अनुच्छेद: एक नजर में	8.9
तालिका 11.1	संविधान के मूलभूत ढांचे का विकास	11.3
तालिका 12.1	संसदीय एवं राष्ट्रपति व्यवस्था की तुलना	12.6
तालिका 13.1	संघीय एवं एकात्मक सरकार की तुलनात्मक विशेषता	13.1
तालिका 14.1	केन्द्र-राज्य विधायी सम्बन्धों से जुड़े अनुच्छेद: एक नजर में	14.19
तालिका 14.2	केन्द्र-राज्य प्रशासनिक सम्बन्धों से संबंधित अनुच्छेद	14.20
तालिका 14.3	केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों से संबंधित अनुच्छेद: एक नजर में	14.20
तालिका 15.1	अब तक गठित अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण	15.2
तालिका 15.2	क्षेत्रीय परिषदों पर एक नजर	15.4
तालिका 15.3	अंतर्राज्यीय संबंधी अनुच्छेद, एक नजर में	15.6
तालिका 16.1	राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन में तुलना	16.9
तालिका 16.2	राष्ट्रपति शासन लगाना (1951–2016)	16.12
तालिका 16.3	आपात प्रावधान संबंधी अनुच्छेद: एक नजर में	16.13
तालिका 17.1	राष्ट्रपतियों का निर्वाचन (1952–2012)	17.4
तालिका 17.2	राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर एक नजर	17.11
तालिका 17.3	राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद: एक नजर में	17.15
तालिका 18.1	उपराष्ट्रपतियों का निर्वाचन (1952–2012)	18.2
तालिका 18.2	उप-राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद: एक नजर में	18.4
तालिका 19.1	प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद: एक नजर में	19.4
तालिका 20.1	मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर	20.5
तालिका 20.2	मंत्रीपरिषद् से संबंधित अनुच्छेद: एक नजर में	20.6
तालिका 22.1	स्थगन बनाम सत्रावसान	22.13
तालिका 22.2	निंदा प्रस्ताव बनाम अविश्वास प्रस्ताव	22.16
तालिका 22.3	सरकारी विधेयक बनाम गैर-सरकारी विधेयक	22.18
तालिका 22.4	साधारण विधेयक बनाम धन विधेयक	22.21
तालिका 22.5	संसद में सीटों का बंटवारा	22.34
तालिका 22.6	लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें	22.35

तालिका 22.7	लोकसभा की अवधियाँ (प्रथम लोकसभा से वर्तमान लोकसभा तक)	22.37
तालिका 22.8	लोकसभा के अध्यक्ष (प्रथम लोकसभा से वर्तमान लोकसभा तक)	22.38
तालिका 22.9	संसद से संबंधित अनुच्छेद: एक नजर में	22.39
तालिका 23.1	विभागीय स्थाई समितियाँ	23.6
तालिका 26.1	भारतीय एवं अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तुलना	26.9
तालिका 26.2	उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद: एक नजर में	26.10
तालिका 27.1	नवीं अनुसूची में शामिल अधिकारियों एवं विनियमों की संख्या	27.5
तालिका 30.1	राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की वीटो शक्ति की तुलना	30.7
तालिका 30.2	अध्यादेश निर्माण में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अधिकारों की तुलना	30.8
तालिका 30.3	क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की तुलनात्मक शक्तियां	30.9
तालिका 30.4	राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, एक नजर में	30.11
तालिका 31.1	मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद, एक नजर में	31.3
तालिका 32.1	राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद, एक नजर में	32.5
तालिका 33.1	राज्य विधानमंडल एवं संसद के बीच विधायी प्रक्रिया की तुलना	33.10
तालिका 33.2	राज्य विधानमंडलों की सदस्य संख्या	33.14
तालिका 33.3	विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें	33.15
तालिका 33.4	राज्य विधायिका से सम्बन्धित अनुच्छेद, एक नजर में	33.16
तालिका 34.1	उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र एवं नाम	34.8
तालिका 34.2	उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद, एक नजर में	34.9
तालिका 35.1	परिवार न्यायालयों की स्थापना (2016)	35.8
तालिका 35.2	ग्राम न्यायालयों की स्थापना (2016)	35.10
तालिका 35.3	अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेद, एक नजर में	35.11
तालिका 36.1	जम्मू एवं कश्मीर का संविधान-एक नजर में	36.7
तालिका 36.2	जम्मू एवं कश्मीर संविधान की अनुसूचियाँ-एक झलक में	36.8
तालिका 37.1	कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद, एक नजर में	37.4
तालिका 38.1	पंचायती राज पर अध्ययन दल एवं समितियाँ	38.4
तालिका 38.2	पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद: एक नजर में	38.15
तालिका 38.3	पंचायतों के नाम एवं उनकी संख्या (2010)	38.15
तालिका 38.4	पंचायती राज के विकास में मील के पत्थर	38.17

तालिका 38.5	पंचायती राज से संबंधित समितियां (संवैधानीकरण के बाद)	38.19
तालिका 39.1	स्थानीय नगर शासन विषय पर नियुक्त समितियाँ एवं आयोग	39.2
तालिका 39.2	छावनी बोर्डों का वर्गीकरण	39.7
तालिका 39.3	नगरपालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद, एक नजर में	39.10
तालिका 39.4	नगरपालिकाओं के नाम एवं उनकी संख्या (2010)	39.11
तालिका 40.1	केंद्रशासित प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था पर एक नजर	40.5
तालिका 40.2	राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना	40.6
तालिका 40.3	संघीय क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद, एक नजर में	40.6
तालिका 41.1	जनजातीय क्षेत्रों पर एक नजर (2016)	41.3
तालिका 41.2	अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद एक नजर में	41.3
तालिका 41.3	अनुसूचित क्षेत्रों से संबद्ध आदेश (2016)	41.3
तालिका 43.1	राज्य लोकसेवा आयोगों से संबंधित अनुच्छेद, एक नजर में	43.4
तालिका 44.1	संघ लोक सेवा आयोग से सम्बन्धित अनुच्छेद, एक नजर में	44.4
तालिका 45.1	अब तक गठित वित्त आयोग	45.2
तालिका 45.2	वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद: एक नजर में	45.2
तालिका 49.1	भारत के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद: एक नजर में	49.4
तालिका 50.1	भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद: एक नजर में	50.2
तालिका 51.1	राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद, एक नजर में	51.2
तालिका 51.2	संवैधानिक निकायों से संबंधित अनुच्छेद, एक नजर में	51.2
तालिका 55.1	राष्ट्रीय आयोग/केन्द्रीय निकाय तथा संबंधित मंत्रालय	55.3
तालिका 59.1	राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना (कालानुक्रम में)	59.6
तालिका 59.2	लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम (2013) एक नजर में	59.8
तालिका 60.1	सहकारी समितियों से संबंधित अनुच्छेद, एक नजर में	60.6
तालिका 61.1	भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा	61.4
तालिका 61.2	राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद, एक नजर में	61.5
तालिका 62.1	सार्वजनिक सेवाओं से सम्बन्धित अनुच्छेद, एक नजर में	62.4
तालिका 63.1	केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों की पीठों के नाम एवं उनका न्याय क्षेत्र	63.2
तालिका 63.2	कैट की पीठों की सर्किट सिटिंग्स	63.3
तालिका 63.3	न्यायाधिकरणों से सम्बन्धित अनुच्छेद, एक नजर में	63.3

तालिका 64.1	सरकार के अधिकारों एवं दायित्वों से सम्बन्धित अनुच्छेद, एक नजर में	64.4
तालिका 66.1	विशिष्ट वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों से जुड़े अनुच्छेद, एक नजर में	66.3
तालिका 67.1	मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल (प्रथम चुनाव से लेकर सोलहवें आम चुनाव तक)	67.6
तालिका 67.2	मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल एवं उनके चुनाव चिन्ह (2016)	67.6
तालिका 67.3	मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय दल एवं उनके चुनाव चिन्ह (सोलहवां आम चुनाव)	67.6
तालिका 67.4	राजनीतिक दलों का गठन (कालानुक्रम से)	67.8
तालिका 68.1	लोकसभा चुनावों के परिणाम	68.6
तालिका 68.2	प्रत्येक लोकसभा चुनावों के पश्चात् प्रधानमंत्री	68.7
तालिका 68.3	लोकसभा चुनावों के प्रतिभागी	68.8
तालिका 68.4	लोकसभा चुनावों में महिलाएं	68.8
तालिका 68.5	लोकसभा निर्वाचन का व्यय	68.9
तालिका 68.6	चौदहवां आम चुनाव (2004) के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे (क्षेत्रवार) लोकसभा सीटें	68.9
तालिका 68.7	सोलहवें आम चुनाव (2014) में सबसे बड़े एवं सबसे छोटी (मतदातावार) लोकसभा सीटें	68.10
तालिका 68.8	निर्वाचन से सम्बन्धित अनुच्छेद, एक नजर में	68.10
तालिका 70.1	जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम (1950) : एक झलक में	70.2
तालिका 70.2	जन-प्रतिनिधित्व कानून (1950) की अनुसूचियाँ : एक झलक में	70.2
तालिका 70.3	जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) : एक झलक में	70.3
तालिका 70.4	सीमांकन अधिनियम (2002) : एक झलक में	70.4
तालिका 71.1	चुनाव खर्च की सीमा (2014 में घोषित)	71.8
तालिका 74.1	राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठकें	74.5

विषय-सूची

समर्पण ...v
पंचम संस्करण की प्रस्तावना ...vii
प्रथम संस्करण की प्रस्तावना ix
आभार xi
संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में भारतीय राजव्यवस्था पर अंकों का वर्षवार विभाजन (सामान्य अध्ययन-मुख्य परीक्षा) ...xiii
संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में भारतीय राजव्यवस्था पर प्रश्नों का वर्षवार विभाजन (सामान्य अध्ययन-प्रारंभिक परीक्षा) xv
सिविल सेवा परीक्षा के विषय में xvii
तालिका सूची ...xix

भाग-1

संवैधानिक ढांचा

(CONSTITUTIONAL FRAMEWORK)

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) 1.3-1.10

कंपनी का शासन [1773 से 1858 तक] / 1.3
ताज का शासन [1858 से 1947 तक] / 1.5
संदर्भ सूची / 1.10

2. संविधान का निर्माण (Making of the Constitution) 2.1-2.9

संविधान सभा की मांग / 2.1
संविधान सभा का गठन / 2.1
संविधान सभा की कार्यप्रणाली / 2.2
संविधान सभा की समितियां / 2.3
संविधान का प्रभाव में आना / 2.4
संविधान का प्रवर्तन / 2.5
संविधान सभा की आलोचना / 2.6
आवश्यक तथ्य / 2.8
संदर्भ सूची / 2.8

3. **संविधान की प्रमुख विशेषताएं (Salient Features of the Constitution)** **3.1-3.15**

प्रस्तावना / 3.1
संविधान की विशेषताएं / 3.1
संविधान की आलोचना / 3.12
संदर्भ सूची / 3.14

4. **संविधान की प्रस्तावना (Preamble of the Constitution)** **4.1-4.7**

संविधान के प्रस्तावना की विषय-वस्तु / 4.1
प्रस्तावना के तत्व / 4.1
प्रस्तावना में मुख्य शब्द / 4.2
प्रस्तावना का महत्व / 4.4
संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना / 4.5
प्रस्तावना में संशोधन की संभावना / 4.5
संदर्भ सूची / 4.5

5. **संघ एवं इसका क्षेत्र (Union and its Territory)** **5.1-5.8**

राज्यों का संघ / 5.1
राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति / 5.2
केंद्रशासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्‌भव / 5.3
संदर्भ सूची / 5.8

6. **नागरिकता (Citizenship)** **6.1-6.14**

अर्थ एवं महत्व / 6.1
संवैधानिक उपबंध / 6.1
नागरिकता अधिनियम, 1955 / 6.2
एकल नागरिकता / 6.5
विदेशी भारतीय नागरिकता / 6.6
संदर्भ सूची / 6.13

7. **मूल अधिकार (Fundamental Rights)** **7.1-7.29**

मूल अधिकारों की विशेषताएं / 7.1
राज्य की परिभाषा / 7.2
मूल अधिकारों से असंगत विधियां / 7.3
समानता का अधिकार / 7.5
स्वतंत्रता का अधिकार / 7.9
शोषण के विरुद्ध अधिकार / 7.15
धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार / 7.16
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार / 7.17
संवैधानिक उपचारों का अधिकार / 7.19
रिट—प्रकार एवं क्षेत्र / 7.20

सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार / 7.21
मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार / 7.22
कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव / 7.22
संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति / 7.23
मूल अधिकारों के अपवाद / 7.24
मूल अधिकारों की आलोचना / 7.25
मूल अधिकारों का महत्व / 7.26
भाग 3 के बाहर अधिकार / 7.26
संदर्भ सूची / 7.28

8. राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) 8.1-8.10

निदेशक तत्वों की विशेषताएं / 8.1
निदेशक तत्वों का वर्गीकरण / 8.2
नए निदेशक तत्व / 8.3
निदेशक सिद्धांतों के पीछे संस्तुति / 8.3
निदेशक तत्वों की आलोचना / 8.4
निदेशक तत्वों की उपयोगिता / 8.4
मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में टकराव / 8.5
निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन / 8.7
भाग IV से बाहर के निदेश / 8.8
संदर्भ सूची / 8.9

9. मूल कर्तव्य (Fundamental Duties) 9.1-9.4

स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें / 9.1
मूल कर्तव्यों की सूची / 9.2
मूल कर्तव्यों की विशेषताएं / 9.2
मूल कर्तव्यों की आलोचना / 9.2
मूल कर्तव्यों का महत्व / 9.3
वर्मा समिति की टिप्पणियां / 9.3
संदर्भ सूची / 9.4

10. संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution) 10.1-10.4

संशोधन प्रक्रिया / 10.1
संशोधनों के प्रकार / 10.2
संशोधन प्रक्रिया की आलोचना / 10.3
संदर्भ सूची / 10.4

11. संविधान की मूल संरचना (Basic Structure of the Constitution) 11.1-11.5

मूल संरचना का प्रादुर्भाव / 11.1
मूल सरंचना के तत्व / 11.2
संदर्भ सूची / 11.4

भाग–2

सरकार की प्रणाली

(System of Government)

12. संसदीय व्यवस्था (Parliamentary System) **12.3-12.8**

संसदीय सरकार की विशेषताएं / 12.3
राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताएं / 12.4
संसदीय व्यवस्था के गुण / 12.5
संसदीय व्यवस्था के दोष / 12.5
संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण / 12.6
भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल में विभेद / 12.7
संदर्भ सूची / 12.7

13. संघीय व्यवस्था (Federal System) **13.1-13.6**

संविधान की संघीय विशेषताएं / 13.2
संविधान की एकात्मक विशेषताएं / 13.3
संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन / 13.5
संदर्भ सूची / 13.6

14. केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations) **14.1-14.22**

विधायी संबंध / 14.1
प्रशासनिक संबंध / 14.4
वित्तीय संबंध / 14.7
केंद्र-राज्य संबंधों में प्रवृत्तियां / 14.12
संदर्भ सूची / 14.21

15. अंतर्राज्यीय संबंध (Inter-State Relations) **15.1-15.6**

अंतर्राज्यीय जल विवाद / 15.1
अंतर्राज्यीय परिषदें / 15.2
लोक अधिनियम, दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रियाएं / 15.3
अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य / 15.4
क्षेत्रीय परिषदें / 15.5
संदर्भ सूची / 15.6

16. आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions) **16.1-16.14**

राष्ट्रीय आपातकाल / 16.1
राष्ट्रपति शासन / 16.6
वित्तीय आपातकाल / 16.10
आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना / 16.11
संदर्भ सूची / 16.13

भाग-3

केन्द्र सरकार

(Central Government)

17. राष्ट्रपति (President) **17.3-17.17**

राष्ट्रपति का निर्वाचन / 17.3
अर्हताएं, शपथ एवं शर्तें / 17.5
पदावधि, महाभियोग व पदरिक्तता / 17.6
राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य / 17.7
राष्ट्रपति की वीटो शक्ति / 17.9
राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति / 17.12
राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति / 17.13
राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति / 17.14
संदर्भ सूची / 17.16

18. उप-राष्ट्रपति (Vice-President) **18.1-18.5**

निर्वाचन / 18.1
अर्हताएं / 18.1
शपथ या प्रतिज्ञान / 18.2
उप-राष्ट्रपति पद की शर्तें / 18.2
पदावधि / 18.2
पद रिक्तता / 18.3
चुनाव विवाद / 18.3
शक्तियां और कार्य / 18.3
भारत एवं अमेरिकी उप-राष्ट्रपतियों की तुलना / 18.3
परिलब्धियां / 18.4
संदर्भ सूची / 18.4

19. प्रधानमंत्री (Prime Minister) **19.1-19.5**

प्रधानमंत्री की नियुक्ति / 19.1
शपथ, पदावद्धि एवं वेतन / 19.2
प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां / 19.2
भूमिका का वर्णन / 19.3
राष्ट्रपति के साथ संबंध / 19.4
वे मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री बने / 19.4
संदर्भ सूची / 19.4

20. केंद्रीय मंत्रिपरिषद (Central Council of Ministers) **20.1-20-6**

संवैधानिक प्रावधान / 20.1
मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति / 20.2

मंत्रियों की नियुक्ति / 20.2
मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं उनका वेतन / 20.2
मंत्रियों के उत्तरदायित्व / 20.3
मंत्रिपरिषद की संरचना / 20.4
मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल / 20.4
मंत्रिमंडल की भूमिका / 20.4
भूमिका का वर्णन / 20.4
आंतरिक (किचेन) कैबिनेट / 20.5
संदर्भ सूची / 20.6

21. मंत्रिमंडलीय समितियां (Cabinet Committees) 21.1-21.5

मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताएं / 21.1
मंत्रिमंडलीय समितियों की सूची / 21.1
मंत्रिमंडलीय समितियों के कार्य / 21.2
मंत्रियों के समूह / 21.2
जीओएम तथा ईजीओएम की समाप्ति / 21.4
अनौपचारिक मंत्री समूह स्थापित / 21.4
संदर्भ सूची / 21.5

22. संसद (Parliament) 22.1-22.42

संसद का गठन / 22.1
दोनों सदनों की संरचना / 22.2
लोकसभा की चुनाव प्रणाली / 22.3
दोनों सदनों की अवधि / 22.4
संसद की सदस्यता / 22.4
संसद के पीठासीन अधिकारी / 22.7
संसद में नेता / 22.12
संसद के सत्र / 22.12
संसदीय कार्यवाही के साधन / 22.15
संसद में विधायी प्रक्रिया / 22.18
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक / 22.22
संसद में बजट / 22.23
संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका / 22.28
संसदीय नियंत्रण की अप्रभाविता / 22.30
राज्यसभा की स्थिति / 22.31
संसदीय विशेषाधिकार / 22.32
संसद की संप्रभुता / 22.36
संदर्भ सूची / 22.40

23. संसदीय समितियां (Parliamentary Committees) 23.1-23.11

अर्थ / 23.1
वर्गीकरण / 23.1
वित्तीय समितियाँ / 23.3

विभागीय स्थाई समितियाँ / 23.5
जांच समितियाँ / 23.8
जाँच एवं नियंत्रण के लिए समितियाँ / 23.8
सदन के दैनंदिन के कामकाज से संबंधित समितियाँ / 23.9
गृह-व्यवस्था समितियाँ / 23.9
सलाहकार समितियाँ / 23.10
संदर्भ सूची / 23.10

24. संसदीय मंच (Parliamentary Forums) 24.1-24.5

मंच की स्थापना / 24.1
मंच के उद्देश्य / 24.1
फोरम का संघटन (संरचना) / 24.2
फोरम के कार्य / 24.2
संदर्भ सूची / 24.4

25. संसदीय समूह (Parliamentary Group) 25.1-25.4

समूह का औचित्य /25.1
समूह का गठन / 25.1
समूह के उद्देश्य / 25.2
समूह के कार्य / 25.2
समूह एवं अंतर-संसदीय संघ (IPU) / 25.2
समूह एवं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) / 25.3
संदर्भ सूची / 25.3

26. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) 26.1-26.11

उच्चतम न्यायालय का गठन / 26.1
उच्चतम न्यायालय का स्थान / 26.4
न्यायालय की प्रक्रिया / 26.4
उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता / 26.4
उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार / 26.5
संदर्भ सूची / 26.11

27. न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) 27.1-27.6

न्यायिक समीक्षा का अर्थ / 27.1
न्यायिक समीक्षा का महत्व / 27.2
न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान / 27.2
न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र / 27.3
नवीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा / 27.4
संदर्भ सूची / 27.6

28. न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) 28.1-28.5

न्यायिक सक्रियता का अर्थ / 28.1
न्यायिक सक्रियता का औचित्य / 28.2
न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक / 28.2

न्यायिक सक्रियता को लेकर आशंकाएँ / 28.3
न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम / 28.4
संदर्भ सूची / 28.5

29. जनहित याचिका (Public Interest Litigation) 29.1-29.5

पी.आई.एल. का अर्थ / 29.1
पीआईएल की विशेषताएँ / 29.2
पीआईएल का विषय क्षेत्र / 29.2
पीआईएल के सिद्धांत / 29.3
पीआईएल दाखिल करने संबंधी दिशा निर्देश / 29.4
संदर्भ सूची / 29.5

भाग–4

राज्य सरकार

(State Government)

30. राज्यपाल (Governor) 30.3-30.12

राज्यपाल की नियुक्ति / 30.3
राज्यपाल के पद की शर्तें / 30.4
राज्यपाल की पदावधि / 30.4
राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य / 30.5
राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति / 30.10
संदर्भ सूची / 30.12

31. मुख्यमंत्री (Chief Minister) 31.1-31.4

मुख्यमंत्री की नियुक्ति / 31.1
शपथ, कार्यकाल एवं वेतन / 31.2
मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां / 31.2
राज्यपाल के साथ संबंध / 31.3
संदर्भ सूची / 31.4

32. राज्य मंत्रिपरिषद् (State Council of Ministers) 32.1-32-5

संवैधानिक प्रावधान / 32.1
मंत्रियों द्वारा दिये गये परामर्श की प्रकृति / 32.2
मंत्रियों की नियुक्ति / 32.3
मंत्रियों की शपथ एवं वेतन / 32.3
मंत्रियों के उत्तरदायित्व / 32.3
मंत्रिपरिषद का गठन / 32.4
कैबिनेट / 32.4
संदर्भ सूची / 32.5

33. **राज्य विधानमण्डल (State Legislature)** **33.1-33.18**

राज्य विधानमंडल का गठन / 33.1
दो सदनों का गठन / 33.2
दोनों सदनों का कार्यकाल / 33.3
राज्य विधानमंडल की सदस्यता / 33.3
विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी / 33.5
राज्य विधानमंडल सत्र / 33.7
विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया / 33.8
विधानपरिषद की स्थिति / 33.9
राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार / 33.13
संदर्भ सूची / 33.17

34. **उच्च न्यायालय (High Court)** **34.1-34.11**

उच्च न्यायालय का संगठन / 34.1
उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता / 34.4
उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां / 34.5
संदर्भ सूची / 34.10

35. **अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)** **35.1-35.11**

संवैधानिक उपबंध / 35.1
सरंचना एवं अधिकार क्षेत्र / 35.2
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण / 35.3
लोक अदालत / 35.3
स्थाई लोक अदालतें / 35.6
परिवार न्यायालय / 35.7
ग्राम न्यायालय / 35.9
संदर्भ सूची / 35.11

36. **जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा** **36.1-36.8**
(Special Status of Jammu & Kashmir)

जम्मू एवं कश्मीर का भारत में विलय / 36.1
भारत एवं जम्मू-कश्मीर के मध्य वर्तमान संबंध / 36.2
जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संविधान की विशेषतायें / 36.3
जम्मू-कश्मीर स्वायत्तता विधेयक अस्वीकृत / 36.5
जम्मू एवं कश्मीर के लिए वार्तालाप समूह / 36.5
संदर्भ सूची / 36.8

37. **कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान** **37.1-37.5**
(Special Provisions for Some States)

महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए प्रावधान / 37.1
नागालैंड के लिए प्रावधान / 37.1
असम एवं मणिपुर के लिए प्रावधान / 37.2

आंध्र प्रदेश अथवा तेलंगाना के लिए प्रावधान / 37.3
सिक्किम के लिए प्रावधान / 37.3
मिजोरम के लिए प्रावधान / 37.4
अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा के लिए प्रावधान / 37.4
कर्नाटक लिए प्रावधान / 37.4
संदर्भ सूची / 37.5

भाग–5

स्थानीय सरकार

(LOCAL GOVERNMENT)

38. पंचायती राज (Panchayati Raj) 38.3-38.20

पंचायती राज का विकास / 38.3
1992 का 73वां संशोधन अधिनियम / 38.7
अनिवार्य एवं स्वैच्छिक प्रावधान / 38.10
1996 का पेसा अधिनियम (विस्तार अधिनियम) / 38.11
पंचायती राज के वित्तीय स्रोत / 38.13
अप्रभावी निष्पादन के कारण / 38.14
संदर्भ सूची / 38.19

39. नगर निगम (Municipalities) 39.1-39.13

नगर निकायों का विकास / 39.1
1992 का 74वां संशोधन अधिनियम / 39.2
शहरी शासनों के प्रकार / 39.6
नगरपालिका कर्मी / 39.8
निगम राजस्व / 39.9
स्थानीय सरकार की केन्द्रीय परिषद् / 39.9
संदर्भ सूची / 39.13

भाग–6

केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र

(UNION TERRITORIES AND SPECIAL AREAS)

40. केंद्रशासित प्रदेश (Union Territories) 40.3-40.6

केंद्रशासित प्रदेशों का गठन / 40.3
केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन / 40.4

दिल्ली के लिये विशेष उपबंध / 40.4
संघीय क्षेत्रों (संघ शासित प्रदेशों) के लिए सलाहकार समितियां / 40.5
संदर्भ सूची / 40.6

41. अनुसूचित एवं जनजातिय क्षेत्र (Scheduled and Tribal Areas) 41.1-41.4

अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन / 41.1
जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन / 41.2
संदर्भ सूची / 41.4

भाग–7

संवैधानिक निकाय

(CONSTITUTIONAL BODIES)

42. निर्वाचन आयोग (Election Commission) 42.3-42.5

संरचना / 42.3
स्वतंत्रता / 42.4
शक्ति और कार्य / 42.4
दृष्टि, लक्ष्य और सिद्धांत / 42.5
संदर्भ सूची / 42.5

43. संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) 43.1-43.5

संरचना / 43.1
निष्कासन / 43.1
स्वतंत्रता / 43.2
कार्य / 43.2
सीमाएं / 43.3
भूमिका / 43.3
संदर्भ सूची / 43.4

44. राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission) 44.1-44.5

गठन / 44.1
निष्कासन / 44.1
स्वतंत्रता / 44.2
कार्य / 44.2
सीमाएं / 44.3
भूमिका / 44.3
संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग / 44.4
संदर्भ सूची / 44.4

45. वित्त आयोग (Finance Commission) **45.1-45-3**

संरचना / 45.1
कार्य / 45.1
सलाहकारी भूमिका / 45.2
संदर्भ सूची / 45.3

46. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for SCs) **46.1-46.3**

आयोग का उदय / 46.1
आयोग के कार्य / 46.2
आयोग का प्रतिवेदन / 46.2
आयोग की शक्तियां / 46.2
संदर्भ सूची / 46.3

47. अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for STs) **47.1-47.3**

अनूसूचित जनजातियों के लिए पृथक् आयोग / 47.1
आयोग के कार्य / 47.1
आयोग के अन्य कार्य / 47.2
आयोग का प्रतिवेदन / 47.2
आयोग की शक्तियां / 47.2
संदर्भ सूची / 47.3

48. भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी (Special Officer for Linguistic Minorities) **48.1-48.3**

संवैधानिक उपबंध / 48.1
भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त / 48.1
आयुक्त की भूमिका / 48.2
दृष्टि एवं लक्ष्य / 48.2
कार्य एवं उद्देश्य / 48.2
संदर्भ सूची / 48.2

49. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) **49.1-49.5**

नियुक्ति एवं कार्यकाल / 49.1
स्वतंत्रता / 49.1
कर्तव्य और शक्तियां / 49.2
भूमिका / 49.3
CAG तथा निगम / 49.3
एप्पलबाई की आलोचना / 49.4
संदर्भ सूची / 49.5

50. भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) 50.1-50.2

नियुक्ति एवं कार्यकाल / 50.1
कार्य एवं शक्तियां / 50.1
अधिकार एवं मर्यादाएं / 50.2
भारत का महाधिवक्ता / 50.2
संदर्भ सूची / 50.2

51. राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General of the State) 51.1-51.2

नियुक्ति एवं कार्यकाल / 51.1
कार्य एवं शक्तियां / 51.1
संदर्भ सूची / 51.2

भाग–8

गैर–संवैधानिक निकाय

(NON-CONSTITUTIONAL BODIES)

52. नीति आयोग (NITI Aayog) 52.3-52.14

स्थापना / 52.3
तर्काधार / 52.3
गठन / 52.4
विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएँ / 52.5
उद्देश्य / 52.5
मार्गदर्शक सिद्धांत / 52.6
आलोचना / 52.7
अधीनस्थ कार्यालय / 52.8
पूर्ववर्ती योजना आयोग / 52.8
राष्ट्रीय विकास परिषद का उन्मूलन / 52.11
संदर्भ सूची / 52.13

53. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) 53.1-53.5

आयोग की स्थापना / 53.1
आयोग की संरचना / 53.1
आयोग के कार्य / 53.2
आयोग की कार्यप्रणाली / 53.2
आयोग की भूमिका / 53.3
आयोग का कार्य निष्पादन / 53.3
मानवाधिकार संशोधन अधिनियम, 2006 / 53.4
संदर्भ सूची / 53.5

54. राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commission) 54.1–54.3

आयोग की संरचना / 54.1
आयोग के कार्य / 54.2
आयोग की कार्यप्रणाली / 54.2
मानव अधिकार न्यायालय / 54.3
संदर्भ सूची / 54.3

55. केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) 55.1-55.4

संरचना / 55.1
कार्यकाल एवं सेवा शर्तें / 55.1
शक्तियां एवं कार्य / 55.2
संदर्भ सूची / 55.4

56. राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) 56.1-56.3

संरचना / 56.1
कार्यकाल एवं सेवा शर्तें / 56.1
शक्तियां एवं कार्य / 56.2
संदर्भ सूची / 56.3

57. केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) 57.1-57.6

संरचना / 57.1
संगठन / 57.2
कार्य / 57.2
कार्यक्षेत्र / 57.3
कार्यप्रणाली / 57.4
मंत्रालयों में सतर्कता इकाइयाँ / 57.4
व्हिसल ब्लोअर एक्ट, 2011 / 57.4
संदर्भ सूची / 57.5

58. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) 58.1-58.4

सीबीआई की स्थापना / 58.1
सीबीआई आदर्श वाक्य, उद्देश्य एवं दृष्टि / 58.1
सी.बी.आई. का संगठन / 58.2
सी.बी.आई. का गठन / 58.2
सी.बी.आई. के कार्य / 58.3
पूर्वानुमति का प्रावधान / 58.3
सी.बी.आई. बनाम राज्य पुलिस / 58.4
सी.बी.आई. अकादमी / 58.4
संदर्भ सूची / 58.4

59. लोकपाल एवं लोकायुक्त (Lokpal and Lokayuktas) 59.1-59.10

विश्व परिदृश्य / 59.1
भारत में स्थिति / 59.2
लोकपाल / 59.3
लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 / 59.4
लोकायुक्त / 59.6
संदर्भ सूची / 59.10

भाग–9

अन्य-संवैधानिक आयाम

(OTHER CONSTITUTIONAL DIMENSIONS)

60. सहकारी समितियां (Co-operative Societies) 60.3-60.7

संवैधानिक प्रावधान / 60.3
97वें संशोधन के कारण / 60.5
संदर्भ सूची / 60.6

61. राजभाषा (Official Language) 61.1-61.6

संघ की भाषा / 61.1
क्षेत्रीय भाषाएं / 61.2
न्यायपालिका की भाषा एवं विधि पाठ / 61.2
विशेष निर्देश / 61.3
राजभाषा पर संसदीय समिति / 61.3
शास्त्रीय भाषा का दर्जा / 61.4
संदर्भ सूची / 61.5

62. लोक सेवाएं (Public Services) 62.1-62.5

सेवाओं का वर्गीकरण / 62.1
संवैधानिक उपबंध / 62.3
संदर्भ सूची / 62.5

63. अधिकरण (Tribunals) 63.1-63.4

प्रशासनिक अधिकरण / 63.1
अन्य मामलों के लिए अधिकरण / 63.3
संदर्भ सूची / 63.4

64. सरकार के अधिकार तथा दायित्व 64.1-64.5
(Rights and Liabilities of the Government)

केंद्र एवं राज्यों की संपत्ति / 64.1
सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध वाद / 64.2

लोक अधिकारियों के विरुद्ध वाद / 64.4
संदर्भ सूची / 64.5

65. हिन्दी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ 65.1-65.2
(Authoritative Text of the Constitution in Hindi Language)
संवैधानिक प्रावधान / 65.1
58वें संविधान संशोधन अधिनियम के कारण / 65.1
संदर्भ सूची / 65.2

66. विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 66.1-66.4
(Special Provisions Relating to Certain Classes)
विशेष प्रावधान का औचित्य / 66.1
वर्गों का आधार / 66.1
विशेष प्रावधान के अंग / 66.2
संदर्भ सूची / 66.4

भाग–10

राजनीति गतिशीलता

(POLITICAL DYNAMICS)

67. राजनीतिक दल (Political Parties) 67.3-67.10
अर्थ एवं प्रकार / 67.3
भारत में दलीय व्यवस्था / 67.3
राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय दलों को मान्यता / 67.5
संदर्भ सूची / 67.10

68. निर्वाचन (Elections) 68.1-68.11
निर्वाचन व्यवस्था / 68.1
चुनाव तंत्र / 68.2
चुनाव प्रक्रिया / 68.3
संदर्भ सूची / 68.10

69. मतदान व्यवहार (Voting Behaviour) 69.1-69.5
मतदान व्यवहार का अर्थ / 69.1
मतदान व्यवहार का महत्व / 69.1
मतदान व्यवहार के निर्धारक / 69.2
चुनाव एवं मतदान व्यवहार में मीडिया की भूमिका / 69.3
संदर्भ सूची / 69.5

70. चुनाव कानून (Election Laws) **70.1-70.5**

जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 / 70.1
जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 / 70.2
सीमांकन अधिनियम, 2002 / 70.3
चुनाव संबंधी अन्य अधिनियम / 70.4
चुनाव से संबंधित नियमावलियाँ / 70.4
चुनाव से संबंधित आदेश / 70.4
संदर्भ सूची / 70.4

71. चुनाव सुधार (Electoral Reforms) **71.1-71.10**

चुनाव सुधार से संबंधित समितियां / 71.1
1996 के पहले के चुनाव सुधार / 71.2
1996 के चुनाव सुधार / 71.2
1996 के बाद के चुनाव सुधार / 71.3
2010 से लेकर अब तक के चुनाव सुधार / 71.5
संदर्भ सूची / 71.9

72. दल परिवर्तन कानून (Anti-Defection Law) **72.1-72.4**

अधिनियम के उपबंध / 72.1
अधिनियम का मूल्यांकन / 72.2
91वां संविधान संशोधन अधिनियम (2003) / 72.3
संदर्भ सूची / 72.4

73. दबाव समूह (Pressure Groups) **73.1-73.4**

अर्थ एवं तकनीक / 73.1
भारत में दबाव समूह / 73.1
संदर्भ सूची / 73.4

74. राष्ट्रीय एकता (National Integration) **74.1-74.6**

राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय / 741
राष्ट्रीय एकता में अवरोध / 74.1
राष्ट्रीय एकता परिषद / 74.3
साम्प्रदायिक सौहार्द्र के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन / 74.4
संदर्भ सूची / 74.6

75. विदेश नीति (Foreign Policy) **75.1-75.8**

भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत / 75.1
भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य / 75.3
भारत का गुजराल सिद्धांत / 75.4
भारत का परमाणु सिद्धांत / 75.4
भारत की मध्य एशिया को जोड़ो नीति / 75.5
भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' / 75.6
संदर्भ सूची / 75.7

भाग–11

संविधान की कार्यप्रणाली

(WORKING OF THE CONSTITUTION)

76. संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग 76.3–76.16
(National Commission to Review the Working of the Constitution)

I. आयोग का कार्य / 76.3
II. संविधान के कार्यकरण के पचास वर्ष / 76.4
III. चिंता के विषय: आयोग के मत में / 76.7
IV. आयोग की सिफारिशें / 76.16

परिशिष्ट

(APPENDICES)

परिशिष्ट–I संविधान के अनुच्छेद (1–395) प.I.3–प.I.20
[Articles of the Constitution (1-395)]

परिशिष्ट–II संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषय प.II.1–प.II.6
[Subjects of Union, State and Concurrent Lists]

परिशिष्ट–III वरीयता अनुक्रम [Table of Precedence] प.III.1–प.III.4

परिशिष्ट–IV संवैधानिक एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ प.IV.1–प.IV.4
[Oath by the Constitutional and Other Authorities]

परिशिष्ट–V संविधान के अंतर्गत व्याख्याएं प.V.1–प.V.3
[Definitions Under the Constitution]

परिशिष्ट–VI संविधान संशोधन : एक नजर में प.VI.16.1–प.VI.14
[Constitutional Amendments at a Glance]

परिशिष्ट–VII अन्य सम्बद्ध संशोधन अधिनियम: एक नजर में प.VII.1–प.VII.5
[Allied Amending Acts at a Glance]

परिशिष्ट–VIII निर्वाचन (चुनाव) से सम्बन्धित आदर्श आचार संहिता प.VIII.1–प.VIII.5
[Model Code of Conduct Relating to Elections]

परिशिष्ट–IX	जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धाराएं [Sections of The Representation of The People Act, 1950]	प.IX.1–प.IX.2
परिशिष्ट–X	जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराएं [Sections of the Representation of the People Act, 1951]	प.X.1–प.X.6
परिशिष्ट–XI	भारत की ध्वज संहिता [Flag Code of India]	प.XI.1–प.XI.9
परिशिष्ट–XII	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आदि [Presidents, Vice-Presidents, Prime Ministers, etc.]	प.XII.1–प.XII.7
परिशिष्ट–XIII	राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष [Chairpersons of The National Commissions]	प.XIII.1–प.XIII.3
परिशिष्ट–XIV	जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धाराएं [Sections of the Constitution of Jammu and Kashmir]	प.XIV.1–प.XIV.4
परिशिष्ट–XV	भारतीय राजव्यवस्था संबंधी यू.पी.एस.सी. के प्रश्न (सामान्य अध्ययन–प्रा. परीक्षा [UPSC Questions on Indian Polity (General Studies–Prelims)]	प.XV.1–प.XV.43
परिशिष्ट–XVI	भारतीय राजव्यवस्था संबंधी अभ्यास प्रश्न (सामान्य अध्ययन–प्रा. परीक्षा) [Practice Questions on Indian Polity (General Studies–Prelims)]	प.XVI.1–प.XVI.36
परिशिष्ट–XVII	भारतीय राजव्यवस्था संबंधी यू.पी.एस.सी. के प्रश्न (सामान्य अध्ययन-मुख्य परीक्षा) [UPSC Questions on Indian Polity (General Studies–Mains)]	प.XVII.1–प.XVII.13
परिशिष्ट–XVIII	भारतीय राजव्यवस्था संबंधी अभ्यास प्रश्न (सामान्य अध्ययन-मुख्य परीक्षा) [Practice Questions on Indian Polity (General Studies–Mains)]	प.XVIII.1–प.XVIII.3

भाग–1

संवैधानिक ढांचा (Constitutional Framework)

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)
2. संविधान का निर्माण (Making of the Constitution)
3. संविधान की प्रमुख विशेषताएं (Salient Features of the Constitution)
4. संविधान की प्रस्तावना (Preamble of the Constitution)
5. संघ एवं इसका क्षेत्र (Union and its Territory)
6. नागरिकता (Citizenship)
7. मूल अधिकार (Fundamental Rights)
8. राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)
9. मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)
10. संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution)
11. संविधान की मूल संरचना (Basic Structure of the Constitution)

1

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
(Historical Background)

भारत में ब्रिटिश 1600 ई. में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी (अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार) अधिकार[1] प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में, 'सिपाही विद्रोह' के परिणामस्वरूप ब्रिटिश ताज (Crown) ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षत: अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त, 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा।

स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में एम.एन. राय (भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता) के दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी, 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राजव्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गयी थीं तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं, जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

कंपनी का शासन [1773 से 1858 तक]

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट

इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधनिक महत्व है, यथा : (अ) भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, (ब) इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली, एवं; (स) इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गयी।

अधिनियम की विशेषताएं

1. इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर जनरल' पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे।
2. इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गये, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक-दूसरे से अलग थे।
3. अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे।

4. इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया।
5. इस अधिनियम के द्वारा, ब्रिटिश सरकार का 'कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स' (कंपनी की गवर्निंग बॉडी) के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया।

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट

रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ़ सैटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनिमय **पिट्स इंडिया एक्ट, 1784**[2] में अस्तित्व में आया।

अधिनियम की विशेषताएं

1. इसने कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक्-पृथक् कर दिया।
2. इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी लेकिन राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए **नियंत्रण बोर्ड** (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार, द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया।
3. नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे।

इस प्रकार, यह अधनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था– *पहला,* भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार 'ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र' कहा गया; *दूसरा,* ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया।

1833 का चार्टर अधिनियम

ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषतायें निम्नानुसार थीं:

अधिनियम की विशेषताएं

1. इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस प्रकार, इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया, जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बैंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
2. इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिये गये। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को **नियामक कानून** कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या **अधिनियम** कहा गया।
3. ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए।
4. चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जायेगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।

1853 का चार्टर अधिनियम

1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की शृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषतायें निम्नानुसार थीं:

अधिनियम की विशेषताएं

1. इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में छह नए पार्षद और जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में, इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गईं, जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थीं। इस प्रकार, विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी।

2. इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया, इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा[3] भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में (भारतीय सिविल सेवा के संबंध में) मैकाले समिति की नियुक्त की गई।
3. इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था।
4. इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर-जनरल की परिषद में छह नए सदस्यों में से, चार का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था।

ताज का शासन [1858 से 1947 तक]

1858 का भारत शासन अधिनियम

इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। **भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम** नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दीं।

अधिनियम की विशेषताएं

1. इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह (वायसराय) भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने।
2. इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी।
3. एक नए पद, भारत के राज्य सचिव, का सृजन किया गया; जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंतत: संसद के प्रति उत्तरदायी था।
4. भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया।
5. इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था।

1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया[4]।

1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम

1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में तीन नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनैतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था।

1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं

1. इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों-बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया।
2. इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुन: देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई।
3. बंगाल, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमश: 1862, 1866 और 1897 में विधानपरिषदों का गठन हुआ।
4. इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान कीं। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का

एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था।

5. इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र छह माह होती थी।

1892 के अधिनियम की विशेषताएं

1. इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त (गैर–सरकारी) सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था।
2. इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट[5] पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया।
3. इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स में गैर–सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर–सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी।

इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर–सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया।[6]

1909 के अधिनियम की विशेषताएं

इस अधिनियम को **मॉर्ले–मिंटो सुधार** के सुधार के नाम से भी जाना जाता है (उस समय लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे)।

1. इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधानपरिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधानपरिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी।
2. इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर–सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी।
3. इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि।
4. इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यपरिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। **सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा** वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था।
5. इस अधिनियम ने पृथक् निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को **सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक** के रूप में जाना गया।
6. इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया।

भारत शासन अधिनियम, 1919

20 अगस्त, 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार[7] की स्थापना करना था।

क्रमिक रूप से 1919 में **भारत शासन अधिनियम** बनाया गया, जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को **मांटेग–चेम्सफोर्ड सुधार** भी कहा जाता है (मांटेग भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे)।

अधिनियम की विशेषताएं

1. केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक् कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को, अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा।
2. इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया– हस्तांतरित और आरक्षित। **हस्तांतरित विषयों** पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर **आरक्षित विषयों** पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध (यूनानी शब्द डाई–आर्की से व्युत्पन्न) शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल ही रही।

3. इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था।
4. इसके अनुसार, वायसराय की कार्यकारी परिषद के छह सदस्यों में से (कमांडर-इन-चीफ़ को छोड़कर) तीन सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था।
5. इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाईयों, आंग्ल-भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक् निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया।
6. इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया।
7. इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया।
8. इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अत: 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती[8] के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।
9. इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया।
10. इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य दस वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था।

साइमन आयोग

ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में (यानि निर्धारित समय से दो वर्ष पूर्व ही) नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में सात सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें कीं। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ तीन गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुयी चर्चा के आधार पर, 'संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत-पत्र' तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को (कुछ संशोधनों के साथ) भारत परिषद अधिनियम, 1935 में शामिल कर दिया गया।

सांप्रदायिक अवार्ड

ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियनों और आंग्ल-भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंतत: कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए।

भारत शासन अधिनियम, 1935

यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं।

अधिनियम की विशेषताएं

1. इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच तीन सूचियों-**संघीय सूची** (59 विषय), **राज्य सूची** (54 विषय) और **समवर्ती सूची** (दोनों के लिये, 36 विषय) के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गईं। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था।

2. इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रह कर स्वायत्त तरीके से तीन पृथक् क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। यानि गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया।
3. इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। परिणामत: संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका।
4. इसने 11 राज्यों में से छह में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार, बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद् और विधानसभा बन गईं। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे।
5. इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया।
6. इसने भारत शासन अधिनियम, 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई।
7. इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग दस प्रतिशत जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया।
8. इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिये भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।
9. इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की।
10. इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

20 फरवरी, 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून, 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून, 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून, 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे **माउंटबेटन योजना** कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947[9] बनाकर उसे लागू कर दिया गया।

अधिनियम की विशेषताएं

1. इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त, 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया।
2. इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतन्त्र डोमिनयनों–संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी।
3. इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनयन राज्यों में गवर्नर–जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी था। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था।
4. इसने दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थीं, यहां तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था।
5. इसने दोनों डोमिनयन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने–अपने सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थीं। 15 अगस्त, 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनयनों पर तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे।
6. इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गईं।
7. इसने 15 अगस्त, 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। इसके साथ ही

तालिका 1.1 *अंतरिम सरकार (1946)*

क्र.	सदस्य	धारित विभाग
1.	जवाहरलाल नेहरू	राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले
2.	सरदार वल्लभभाई पटेल	गृह, सूचना एवं प्रसारण
3.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
4.	जॉन मथाई	उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति
5.	जगजीवन राम	श्रम
6.	सरदार बलदेव सिंह	रक्षा
7.	सी.एच.भाभा	कार्य, खान एवं ऊर्जा
8.	लियाकत अली खां	वित्त
9.	अब्दुर-रब-निश्तार	डाक एवं वायु
10.	आसफ अली	रेलवे एवं परिवहन
11.	सी. राजगोपालाचारी	शिक्षा एवं कला
12.	आई. आई. चुंदरीगर	वाणिज्य
13.	गजनफर अली खान	स्वास्थ्य
14.	जोगेंद्र नाथ मंडल	विधि

नोट: अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया।

तालिका 1.2 *स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल (1947)*

क्र.	सदस्य	धारित विभाग
1.	जवाहरलाल नेहरू	प्रधानमंत्री; राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले; वैज्ञानिक शोध
2.	सरदार वल्लभभाई पटेल	गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले
3.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
4.	मौलाना अबुल कलाम आजाद	शिक्षा
5.	डॉ. जॉन मथाई	रेलवे एवं परिवहन
6.	आर.के. षणमुगम शेट्टी	वित्त
7.	डॉ. बी.आर. अंबेडकर	विधि
8.	जगजीवन राम	श्रम
9.	सरदार बलदेव सिंह	रक्षा
10.	राजकुमारी अमृत कौर	स्वास्थ्य
11.	सी.एच. भाभा	वाणिज्य
12.	रफी अहमद किदवई	संचार
13.	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	उद्योग एवं आपूर्ति
14.	वी.एन. गाडगिल	कार्य, खान एवं ऊर्जा

आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया।

8. इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहें तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं।
9. इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की

व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था।

10. इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था।
11. इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद् के परामर्श पर कार्य करना होता था।
12. इसने शाही उपाधि से 'भारत का सम्राट' शब्द समाप्त कर दिया।
13. इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त, 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं, जो उन्हें पहले से प्राप्त थीं।

14-15 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों-भारत और पाकिस्तान[10] को स्थानांतरित कर दी गईं। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत, के प्रथम गवर्नर-जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया।

संदर्भ सूची

1. मुगल बादशाह शाह आलम ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी अधिकार दिए।
2. इसे ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा पुन: स्थापित किया गया।
3. उस समय कंपनी की सिविल सेवाएं दो तरह की होती थी, प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवाएं (उच्च सिविल सेवाएं) एवं गैर-प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवाएं (निम्न सेवाएं) पहली कंपनी के कानून द्वारा निर्मित हुई, जबकि दूसरी अन्य तरह से।
4. सुभाष सी. कश्यप, *अपर कांस्टीट्यूशन,* नेशनल बुक ट्रस्ट, तृतीय खंड 2001 पृष्ठ 14।
5. बजट की व्यवस्था को ब्रिटिशकालीन भारत में 1860 से शुरू किया गया।
6. वी.एन. शुक्ला, द कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ईस्टर्न बुक कंपनी, दसवां संस्करण 2001 पृष्ठ ए-10।
7. घोषणा ने स्थापित किया: ब्रिटिश शासक की सरकार की नीति प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने और स्वशासन संस्थाओं का क्रमिक विकास करने की थी, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के आंतरिक भाग के रूप में भारत उत्तरदायी सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति की जा सके।
8. यह भारत में उच्च नागरिक सेवाओं (1923-24)पर ली आयोग की सिफारिशों पर किया गया।
9. भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई,1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई, 1947 को इसे राजशाही की संस्तुति मिली। यह अधिनियम 15 अगस्त, 1947 से लागू हुआ।
10. दो राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण रेडक्लिफ की अध्यक्षता वाले सीमा आयोग ने किया। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल, उत्तर-पश्चिम सीमांत क्षेत्र एवं असम का सिलहट जिला शामिल किया गया। उत्तर-पश्चिम सीमांत क्षेत्र एवं सिलहट में अध्यादेश पाकिस्तान के पक्ष में थे।

2

संविधान का निर्माण
(Making of the Constitution)

संविधान सभा की मांग

भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा।

नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के 'अगस्त प्रस्ताव' के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी-अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः, भारत में एक कैबिनेट मिशन[1] को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी, जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया।

संविधान सभा का गठन

कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजना की विशेषताएं थीं:

1. संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थीं। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गईं 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों[2] और चार का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों[3] (प्रत्येक में से एक) से किया जाना था।
2. हर प्रांत व देसी रियासतों (अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह) को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थीं। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक दस लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी।
3. प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये तीन समुदाय थे — मुस्लिम, सिख व सामान्य (मुस्लिम और सिख को छोड़कर)।

4. प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था।
5. देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था।

अत: यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार किया गया था।[4]

संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई–अगस्त 1946 में हुआ। (ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु) इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिलीं। हालांकि देसी रियासतों को आवंटित की गईं 93 सीटें भर नहीं पाईं क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया।

यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ तथापि इसमें प्रत्यके समुदाय—हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल–भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं।

संविधान सभा की कार्यप्रणाली

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।

बाद में डा. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार, डा. एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णामचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे।

उद्देश्य प्रस्ताव

13 दिसंबर, 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया:

1. यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिये एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है।
2. ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र, जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होगे; और
3. उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जायेगा तथा इसके लिये उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिये भी वे सभी शक्तियां, केवल उनको छोड़कर, जो संघ में निहित होंगी, इन राज्यों को प्राप्त होंगी;
4. संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग, सभी का स्रोत भारत की जनता होगी;
5. भारत के सभी लोगों के लिये न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जायेगी;
6. अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जायेगी;
7. संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाये रखा जायेगा तथा इसके भू-क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जायेगी; और
8. इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जायेगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त, उसके योगदान को सुनिश्चित किया जायेगा।

इस प्रस्ताव को 22 जनवरी, 1946 को सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी।

स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन

संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देसी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे–धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल, 1947 को छह राज्यों[5] के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून, 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गयी मांउटबेटन योजना को

स्वीकार करने के बाद अन्य देसी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर लीं। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न तीन परिवर्तन किए:

1. सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया।
2. संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को दो अलग-अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था-स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और; दूसरा था, देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग-अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और जब बैठक बतौर विधायिका[6] होती तब इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर, 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था।
3. मुस्लिम लीग के सदस्य (पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों[7] से सम्बद्ध) भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गिरी। भारतीय प्रांतों (औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत) की संख्या 296 से 229 और देसी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। 31 दिसंबर, 1947 को राज्यवार सदस्यता को अध्याय के अंत में तालिका संख्या 2.4 में प्रस्तुत किया गया है।

अन्य कार्य

संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए:

1. इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया।
2. इसने 22 जुलाई, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
3. इसने 24 जनवरी, 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया।
4. इसने 24 जनवरी, 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया।
5. इसने 24 जनवरी, 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना।

2 साल, 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुईं। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपये का खर्च आया।

24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी, 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद[8] के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया।

संविधान सभा की समितियां

संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं तथा अन्य छोटी। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं:

बड़ी समितियां

1. संघ शक्ति समिति— जवाहरलाल नेहरू
2. संघीय संविधान समिति— जवाहरलाल नहेरू
3. प्रांतीय संविधान समिति— सरदार पटेल
4. प्रारूप समिति— डॉ. बी.आर. अंबेडकर
5. मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति (परामर्शदाता समिति)-सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित पांच उप-समितियां थीं:
   (क) मौलिक अधिकार उप-समिति— जे.बी.कृपलानी
   (ख) अल्पसंख्यक उप-समिति— एच.सी.मुखर्जी
   (ग) उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप-समिति-गोपीनाथ बरदोई।
   (घ) छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों (असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा) के लिए उप-समिति-ए.वी. ठक्कर।
   (ड) उत्तर-पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप-समिति[8a]
6. प्रक्रिया नियम समिति—डॉ.राजेंद्र प्रसाद
7. राज्यों के लिये समिति (राज्यों से समझौता करने वाली) — जवाहरलाल नेहरू
8. संचालन समिति— डॉ. राजेंद्र प्रसाद

छोटी समितियां

1. वित्त एवं कर्मचारी (स्टाफ) समिति – डा. राजेन्द्र प्रसाद
2. प्रत्यायक (क्रेडेन्सियल) समिति –अलादि कृष्णास्वामी अय्यर
3. सदन समिति– बी. पट्टाभिसीतारमैय्या
4. कार्य संचालन समिति – डा. के.एम. मुंशी
5. राष्ट्र ध्वज सम्बन्धी तदर्थ समिति–डा. राजेन्द्र प्रसाद
6. संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति – जी.वी. मावलंकर
7. सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति – एस. वरदाचारी (जो कि सभा के सदस्य नहीं थे)
8. मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति – बी. पट्टाभिसीतारमैय्या
9. संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों सम्बन्धी समिति नलिनी रंजन सरकार (जो कि सभा के सदस्य नहीं थे)
10. भाषाई प्रांत आयोग – एस.के. डार (जो कि सभा के सदस्य नहीं थे)
11. प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति – जवाहरलाल नेहरू
12. प्रेस दीर्घा समिति – उषा नाथ सेन
13. नागरिकता पर तदर्थ समिति – एस. वरदाचारी

प्रारूप समिति

संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त, 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें सात सदस्य थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं:

1. डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर (अध्यक्ष)
2. एन. गोपालस्वामी आयंगार
3. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
4. डॉक्टर के.एम. मुंशी
5. सैय्यद मोहम्मद सादुल्ला
6. एन. माधव राव (इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग-पत्र दे दिया था)
7. टी.टी. कृष्णामाचारी (इन्होंने सन् 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली)

विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया।

प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में छह माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुईं।

संविधान का प्रभाव में आना

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर, 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर पांच दिन (9 नवंबर, 1949 तक) आम चर्चा हुई।

संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर, 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर, 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव आये, जिनमें से वास्तव में 2473 पर ही सभा में चर्चा हुयी।

संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर, 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 'द कॉन्सटिट्यूशन ऐज़ सैटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड' प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर, 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर, 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा।

26 नवंबर, 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया।

नए विधि मंत्री डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्य-कलापों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें 'भारत के संविधान के पिता' के रूप

तालिका 2.1 *भारत की संविधान सभा (1946) में सीटों का आबंटन*

क्रम संख्या	क्षेत्र	सीटें
1.	ब्रिटिश भारतीय प्रांत (11)	292
2.	देशी रियासतें (भारतीय राज्य)	93
3.	मुख्य आयुक्त के प्रांत (4)	4
	कुल	**389**

तालिका 2.2 *संविधान सभा के लिए हुए चुनावों के परिणाम (जुलाई–अगस्त 1946)*

क्रम संख्या	दल का नाम	सीटें जीतीं
1.	कांग्रेस	208
2.	मुस्लिम लीग	73
3.	यूनियनिस्ट पार्टी	1
4.	यूनियनिस्ट मुस्लिम्स	1
5.	यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट्स	1
6.	कृषक प्रजा पार्टी	1
7.	शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन	1
8.	सिख (नॉन कांग्रेस)	1
9.	कम्युनिस्ट पार्टी	1
10.	इंडिपेंडेंट्स (स्वतंत्र)	8
	कुल	**296**

तालिका 2.3 *संविधान सभा (1946) में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व*

क्रम संख्या	समुदाय	शक्ति
1.	हिन्दू	163
2.	मुस्लिम	80
3.	अनुसूचित जाति	31
4.	भारतीय ईसाई	6
5.	पिछड़ी जनजातियां	6
6.	सिख	4
7.	ऐंग्लो-इंडियन	3
8.	पारसी	3
	कुल	**296**

में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को **आधुनिक मनु** की संज्ञा भी दी जाती है।

संविधान का प्रवर्तन

26 नवंबर, 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए।

संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे 'गणतंत्र दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय